

Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (3) of rule 214, the following sub-rule shall be substituted, namely :

“(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely :—

S. No.	Class of Vehicles	Towing Cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rickshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Truck, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 2795/तक-550/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्—

170-क स्लीपर शयनयान एवं अर्द्ध-स्लीपर शयनयान के संबंध में विशेष प्रावधान—

- (क) शयनयान से अभिप्रेत है, डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अंतर्गत वातानुकूलित इकाई के साथ या बिना निर्मित हो गई वाहन और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।
- (ख) अर्द्ध-शयनयान से अभिप्रेत ऐसे यान से है, जिसमें फर्श पर यात्री सीटें और ऊपर की ओर शयन हो, और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा।

170-ख डीलक्स शयनयान

- (1) कन्द्राय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 93 सह-पाठ नियम 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) व (13) के अध्वधीन यथा परिवर्तित रूप में लागू रहते हुए शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के लिए विशेष प्रावधान निम्नानुसार होंगे—

170-ग डीलक्स शयनयान

- (1) (क) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है तो उसे परमिट की वैधता के दौरान अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और जहां ऐसा वाहन 10 वर्ष की अधिक आयु का होता है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा।
- (ख) शयनयान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले वाहन, अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय अथवा वाहन के प्रतिपदन के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी।

-67-

(2) शरण/बंश व्यवस्था -

(क) मोरारान में शरण बंश की व्यवस्था बंश के लम्बाई में केवल दो वर्गमीटर शरण आकार में उपलब्ध की जाएगी। प्रत्येक शरण की लम्बाई न्यूनतम 1.750 मि. मी. तथा चौड़ाई न्यूनतम 760 मि. मी. एवं अधिकतम 900 मि. मी. तक होगी। प्रत्येक शरण की मोटाई न्यूनतम 75 मि. मि. होगी।

(ख) आने जाने के मार्ग (गैंगवे) की चौड़ाई 450 मि. मि. से कम की नहीं होगी।

(ग) दो शरण के मध्य संयुक्त विभाजक की चौड़ाई न्यूनतम 25 मि. मि. से कम की नहीं होगी।

(घ) बंश के फर्श से निचला शरण न्यूनतम 150 मि. मि. ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा।

(ङ) नीचे की शरण में बैठे यात्री के लिए स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 800 मि. मि. से कम नहीं होगा।

(च) छत के बाह्य के समुच्चय की छतकार ऊपर के शरण की स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 650 मि. मि. से कम नहीं होगी।

(छ) ऊपर के शरण की ठीस प्रकार से विभाजक पर कील चूक या छलाहदार अथवा फिफ्ट चूक मजबूती में पाए जाते होंगे। बाकी शरण पर लटकते हुए दो समकदर झूलने की जंजीर से मजबूती में पकड़े किये होंगे। यह झूलाने जंजीर छत के निचला भूजाओं पर कील चूक या छलाहदार किये होंगे। जंजीर की लम्बाई ठीसी : नीचे पर्याप्त होंगी कि यात्री शयनी पर सुविधा पूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सकें।

(ज) ऊपर की शरण के यात्री के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे ऊपर की शरण पर आ सकें या नीचे आ सकें। ऊपर के शरण तक सुविधा पूर्वक पहुँचने के लिए एक सहस्रक, टर्रेल और धीरे-धीरे स्विचमैनक ऊंचाई में उपलब्ध किया जाएगा।

(ग) परिवहनक/व्यवस्थापक के लिए सीट की छतकार आने जाने के रास्ते में कोई सीट या शरण स्थापित की जाएगी नहीं दी जाएगी।

(ग) शरीरक शरण गलत आकार से उपलब्ध की जाएगी, जो स्तर एवं रंग मुक्त स्थिति में रखे जाने योग्य होंगे।

(घ) प्रत्येक यात्री की एक तिकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जाएगी। (एक आँकड़े के लिए और दूसरा निशान के लिए) इन्हें हमेशा अच्छी और रंग मुक्त स्थिति में रखा जाएगा।

(ङ) ऊपर की शरण के दोनों ओर गरम सामग्री चूक का सुरक्षा कवच उपलब्ध किया जाएगा।

(3) अन्य विवरण -

(क) शीर्षकक्ष - शरण की आंतरिक ऊंचाई 1,850 मि. मि. से कम नहीं होगी।

(ख) बॉडी संरचना - पहरेदार वीचिंग की दशा में ऐसे लोक सेवा शरण की बाहरी वीचिंग पर उपलब्ध होंगे। दशा में बकरीकी रूप से मान्यता दी गई है को छतकार वीचिंग के पाँच तकनीकी रूप में मान्यता दी गई है को छतकार वीचिंग के पाँच (विशालीय) शरण पर कोई छत छत शरण में नहीं किया जाएगा। बाहरी संरचना और वीचिंग के रूप के बीच में रबर की पैकिंग या माउंटिंग समुचित मोटाई की होगी।

(ग) फर्श - ऐसे लोक सेवा शरण के फर्श की सामग्री खनि मुक्त, एन्टीस्कोड और शरण योग्य होगी। पॉलिश के लिए फर्श सुरक्षित होगी, और रबर या सेन्थेटिक चटई या गलीचे से ढकी होगी। शरण पैकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड़ धूल मुक्त रहेंगे।

(घ) छत—ऐसे लोक सेवा यात्रा की स्थिति की छत मूल्यमान सामग्री या सामान सामग्री के न होने का मतलब है।

से दबाव सामान करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

(ङ) प्रकाश—सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक यात्रा के लिए परिवहनकर्ता द्वारा प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।

लाइट उपलब्ध की जाएगी।

(च) रंग-रोगन और सजावट—ऐसी लोक सेवा यात्रा की 'नई सजावट' या 'सजावट' उपलब्ध हो जाएगी।

रंग से जो अनुज्ञा रंग योजना की हो या किया जाएगा।

(छ) वातावरणिकीय ध्वज कक्ष—

(1) ऐसे लोक सेवा यात्रा में पर्यावरण मानक के वातावरणिकीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) वातावरणिकीय ध्वज कक्ष ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगा, ताकि ध्वनि के ध्वज को ध्वज के रूप में प्रभावित न हो।

डी. बी. लेबल तक और कंपन या माउंटिंग के कंपन से ध्वज को ध्वज से कम कर दिया जाएगा।

(3) विश्वलीकरण देने की शक्ति—राज्य शासन विलक्षण शासन/शासन बस के रूप में प्रभावित हो।

किमी बहन को ठंड करने की क्षमता या ऊपर दशाई गई किसी भी ध्वज से निपटारा में शामिल हो।

हिए आदेश द्वारा विश्वलीकरण प्रदान कर सकता है।

(ज) विश्वकिया—

(1) विश्वकिया दोहरी स्लाइडिंग यूक स्लाइडिंग जो चाल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना कंपन के हो सके और जो सामग्री सुरक्षा या लेमिनेटिंग सेप्टी कोच जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हो उपलब्ध की जाएगी। विश्वकिया में बिस्किने वाले पर उपलब्ध किया जाएगा।

(2) जहाँ स्थिर कोच उपलब्ध किया गया हो, ऐसी दशा में कम से कम छत के ऊपर सर्जित स्थान का उपयोग के लिए पर्याप्तान के लिए कम से कम एक दरार उपलब्ध की जाएगी।

(3) बिस्किने वाली विश्वकिया चालक बिस्किने के ठीक पीछे उपलब्ध की जाएगी।

(झ) विविध—

(1) ऐसे लोक सेवा यात्रा में कोई हट-रेक अनुज्ञा नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे लोक सेवा यात्रा में बेवजह संसंधन या न्यूमेटिक संसंधन से मुक्त होगा।

(3) केनरी के प्रतिनिधित्व दिवस पीले रंग में 50 मि. मि. चौड़ाई के आगे और पीछे की ओर बाएं के माथे के नीचे पर उपलब्ध किया जाएगा।

(4) ऐसे लोक सेवा यात्रा में पर्यावरण/वातावरणिकीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

170-घ. अई शासनयान—

(1)

अई शासनयान में यात्रा बर्थ की लम्बाई में उपलब्ध की जाएगी, कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनों ओर एकल यात्रा के लिए बर्थ की लम्बाई 1,750 मि. मि. से कम नहीं होगी और चौड़ाई 450 मि. मि. से कम नहीं होगी, प्रत्येक यात्रा में यात्रा की लम्बाई 75 मि. मि. होगी।

(2)

प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष में अधिक पुरानी अईशासनयान की परमिट नहीं दिया जाएगा। परमिट हो वैधता के दौरान यदि वाहन 10 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसा परमिट अवैध हो जाएगा। अईशासनयान

परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन से प्रारम्भिक परमिट जारी करने के अथवा वाहन प्रतिस्थापन करने के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी.

- (2) मोटर वाहन यात्रा में दोनों ओर दो और दो में होगी, सभी सीटें आगे की ओर मुख किये. बीच का मार्ग स्पष्ट 1: कम से कम 355 मि. मि. का होगा. प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्र 447 मि. मि. > 457 मि. मि. का होगा. और एक आर्मरेस्ट दोनों ओर होगा और सीट पार्श्व पूरी ऊंचाई का होगा.

170-ड शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रिकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊपर दर्शाई गई किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है.

170-च पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में इन्द्राज—डीलक्स शयनयान और अर्द्ध शयनयान जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में मोट क्षमता, शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त संबंधी विवरण दर्ज किये जाएंगे.

Raipur, the 22th September 2008

No. 2795/Tech-550/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994 which has already been published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 170, the following shall be inserted, namely :—

“170-A. Special provisions for Sleeper Coach and Semi Sleeper Coach—

- (a) “Sleeper Coach” means a deluxe vehicle constructed as such under this rule, with or without Air-Condition Unit and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.
- (b) “Semi Sleeper Coach” means a coach having passenger seats on the floor and berths on the upper side of it, and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

170-B. Deluxe Sleeper Coach—

- (1) Subject to rule 93 read with mutatis application of the provisions of rule 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) and (13) of the Central Motor Vehicles Rule, 1989, the special provisions for Sleeper Coach/Semi-Sleeper Coach shall be as here under—

170-C. Deluxe Sleeper Coach—

- (1) (a) No Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted during the validity of its permit and where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.
- (b) The vehicle covered by sleeper coach permit, shall not be more than five years from the date of first registration of its at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.
- (2) **Sleeper/Berth arrangement—**
- (a) The sleeper berth shall be provided along with the vehicle with two tier system only. The length of each berth shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 760 mm. and not more than 900 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.
- (b) The width of the Gangway shall not be less than 450 millimeters.
- (c) The width of the structure partition shall not be less than 25 mm between the two berth.

- (d) The lower berth shall be fixed at a minimum height of 150 mm. from the flooring of the vehicle.
 - (e) The clear head room for the sitting passenger at lower berth shall not be less than 800 mm.
 - (f) The clear head room for upper berth shall not be less than 650 mm. except at the side corners of the roof.
 - (g) The upper berth shall be either fixed type with supports fixed rigidly by means of bolting or welding or pivot mounted at the partition and suspended by two bright steel chains mounted on hinges on berths. These chains shall be fixed rigidly by means of bolting or welding to the roof structural members. The length of chain shall be such and sufficient that the passenger could move easily in or out on the berths.
 - (h) Suitable arrangements shall be made for the upper berth passengers to enable them to go up or come down from the upper berth.
 - (i) An assist handle and footrest shall be provided for comfortable occupation of the upper berth at the convenient height.
 - (j) No seat/berth shall be permitted to be fitted in the gangway except a seat for coach attendant/manager at suitable place.
 - (k) Each berth shall be provided with fabric covering, which shall be capable of being kept in a clean and hygienic condition.
 - (l) One pillow and two neat linen shall be provided to each passenger. (one for wrapping and another for spreading). These shall be always in good and hygienic conditions.
 - (m) Safety guard covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.
- (3) **Other particulars—**
- (a) **Headroom-** The internal height of the saloon shall not be less than 1,850 mm.
 - (b) **Body mounting-** In case of rigid chassis the body of such public service vehicle shall be mounted on the chassis with high tensile, steel bolts with diameter of not less than 16 mm. No holes shall be drilled in the chassis side members (Longitudinal) except where such drilling is technically approved by the chassis manufactures. Rubberised packing or mounting of adequate thickness shall be used between the body structure and the chassis frame.
 - (c) **Flooring-** Flooring material of such public service vehicle shall be sound proof, anti-skid and washable. The floor shall be safe for the passengers and be covered with rubber or synthetic matting or carpets. All joints shall be dust proof by suitable packing material.
 - (d) **Roof-** Roof of ceiling of such public service vehicle shall be provided with soft material or equivalent materials like A. B. S. plastics to prevent impact.
 - (e) **Light-** Individual reading light at convenient location for each berth shall be provided in addition to normal lighting arrangement.
 - (f) **Painting and finishing-** Such public service vehicle shall be painted in "Nitro Cellulose" or "Synthetic Enamel" or other suitable paints of any permissible color scheme.
 - (g) **Air-condition unit mounting-**
 - (1) Such public service vehicle may be equipped with Air-Conditioning unit of adequate standard.
 - (2) The Air-condition engine compartment shall be provided with sound insulating

materials so as to damper the engine noise to suitable D. B. Level; and with vibrating mounting so as to minimise vibration factors in the saloon compartment

- (h) **Power of grant relaxation.** The State Government may grant relaxation by order to the vehicle registered as Deluxe Sleeper coach/Sleeper Bus from cooling capacity or any of the above condition, giving reasons in writing.
- (i) **Windows—**
- (i) The windows shall be provided with double sliding type slider running smoothly in channels without rattle and with all safety or laminated safety glasses conforming to the standard laid down by the bureau of Indian standards. Windows shall be provided with sliding curtains.
 - (ii) In case where the fixed glasses are provided, minimum one hatch should be provided on roof top at suitable place for air circulation.
 - (iii) Sliding windows shall be provided to the driver partition immediately behind the driver.
- (j) **Miscellaneous—**
- (i) No hat rack shall be permitted in such public service vehicle.
 - (ii) Such public service vehicle shall have weveller suspension or pneumatic suspension.
 - (iii) Reflective tape of canary yellow colour of 50 mm. width shall be provided at rear and front side at skirt level of/on bumper.
 - (iv) Such public service vehicle shall have an attendant/manager to take care of the passengers in addition to the driver/drivers or conductor.

170-D. Semi-Sleeper Coach—

- (i) The provisions of deluxe sleeper coach shall as far as, be applicable to Semi-Sleeper coach except, the sleeper berth in semi-sleeper coach should be provided along with the vehicle in the upper half side of the coach in single berth row on both side. The length of each berth of less shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 450 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.
- (ii) **Age of the Semi-Sleeper Coach—**
 - (1) No Semi-Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted. During the validity of its permit, where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.
 - (2) The vehicle covered by semi-sleeper coach permit, shall not be more than five years old from the date of its first registration at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.
 - (3) Seating layout shall be two and two on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of atleast 355 mm. at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 mm. x 457 mm. and an arm-rest on both sides and seat-back of full height.

170-E. Powers of State Government to grant relaxation—The State Government may grant relaxation by order to the vehicles registered as Deluxe Sleeper Coach/Semi-Sleeper coach from one or any of the above conditions giving reasons in writing.

- 170-F. **Entry in Certificate of Registration and Permit**-Seating capacity, berth capacity and with or without A.C. particulars shall be entered in the certificate of registration and permit of Deluxe Sleeper Coach and Semi Sleeper coach as the case may be.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्र. 1367 A/567/2006/स्था./चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

1. नियम 36 ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“36-ग. सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें —

- (1) सेवा में केवल ऐसे ही अधिकारी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति किए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के प्रवर श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
- (2) सेवा की प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों को सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु अनुसूची-चार के कालम (6) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा.
- (3) चयन “वरिष्ठता सह योग्यता” के आधार पर किया जायेगा.
- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, जहाँ एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में उसमें से नियुक्तियाँ की जायेंगी.
- (5) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त उपनियम (4) के अधीन अनुमोदित चयन सूची ऐसे अनुमोदन की तारीख से अधिकतम 18 मास की कालावधि के लिये या चयन समिति की आगामी बैठक होने तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी.

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहाँ तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी से हो, उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगी.